मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

(1)

क्र.3695/योजना/एनआर–1/एमजीएनआरईजीएस–एमपी भोपाल, दिनांक 16/4/2010

आदेश क्रमांक 01

प्रति,

1. **कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक**
   जिला समस्त
2. **मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक**
   जिला समस्त
   मध्यप्रदेश

विषयः **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश द्वारा टिकाऊ आजीविका के लिए ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान – मार्गदर्शी सिद्धांत।**

1. **प्रस्तावना :**

उपरोक्त विषय पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के प्रावधानों का उपयोग कर ग्रामों के समूह के सर्वांगीण विकास एवं टिकाऊ आजीविका के लिए माइक्रोप्लान अवधारणा पर कार्य करने का निर्णय लिया गया है। इस अनुक्रम में यह प्रथम आदेश है। इस आदेश में ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान के मार्गदर्शी सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। अनुरोध है कि इस आदेश को गार्ड नस्ती में रखा जावे एवं इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें ताकि ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकें। मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार है :–

1.1 **ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान की अवधारणा –**

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों एवं राज्य शासन के ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य विभागों की योजनाओं तथा कार्यक्रमों के समन्वय द्वारा खेती को लाभप्रद एवं ग्रामीण एवं ग्रामीणों की आजीविका के लिए स्थायी अवसरों का सृजन किया जा सकता है।

1.4 **ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान का सिद्धांत –**

ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान की अवधारणा की फिलॉसफी का आधार जलग्रहण क्षेत्र विकास का सिद्धांत होगा।

1.5 **ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान की अवधारणा का लक्ष्य –**

ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान की अवधारणा का लक्ष्य निम्नानुसार है –

2

- गांव के सकल रकबे (निजी तथा शासकीय भूमि) की उत्पादकता में टिकाऊ वृद्धि करना एवं गांव में पानी की इष्टतम टिकाऊ उपलब्धता सुनिश्चित कर, खेती को लाभप्रद बनाना।
- सामुदायिक/शासकीय भूमि के प्राकृतिक संसाधनों का सर्वांगीण विकास कर खेतिहर मजदूरों, लघु तथा सीमान्त कृषकों के लिए गांव में ही आजीविका के टिकाऊ/स्थायी अवसर उपलब्ध कराना।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानानुसार त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली एवं शासकीय विभागों तथा गैर सरकारी संस्था/स्वयं सेवी संस्था के सहयोग से खेती को लाभप्रद बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्रों, कृषि विभाग से आवश्यक तकनीकी सहयोग लिया जावेगा और उनकी योजनाओं, प्रयोगों, अनुभवों तथा अभिनव उदाहरणों से सीखने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए हर संभव समन्वय/प्रयास किया जावेगा। परिषद् इस सिद्धांत में विश्वास करती है कि सभी स्टेक होल्डर के कौशल विकास के लिए अनुकूल प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और इस संबंध में परिषद् उचित कार्यवाही करेगी।

2. **जिला स्तरीय व्यवस्था –**

ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान की सुचारू रूप से संचालन के लिए सिद्धांततः उपयुक्त जिला स्तरीय संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता होगी। इस अनुक्रम में योजना के सुचारू रूप से संचालन, मार्गदर्शन तथा नेतृत्व के लिए जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक होंगे।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 3696/योजना/एनआर–1/एमजीएनआरईजीएस–एमपी भोपाल, दिनांक 16/04/2010

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संभागायुक्त की ओर सूचनार्थ।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(1)

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्र. 3697/योजना/एनआर–1/एमजीएनआरईजीएस–एमपी भोपाल, दिनांक 16/4/2010

आदेश क्रमांक 02

प्रति,

1. **कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक**
   जिला समस्त
2. **मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक**
   जिला समस्त
   मध्यप्रदेश

विषयः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश द्वारा टिकाऊ आजीविका के लिए ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान – क्षेत्र एवं परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) का चयन

1. प्रस्तावना :

उपरोक्त विषय पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के प्रावधानों का उपयोग कर ग्रामों के समूह के सर्वांगीण विकास एवं टिकाऊ आजीविका के लिए माइक्रोप्लान अवधारणा पर कार्य करने का निर्णय लिया गया है। इस अनुक्रम में यह द्वितीय आदेश है। इस आदेश में ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान के क्षेत्र एवं परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी पीआईए के चयन के मार्गदर्शी सिद्धांतों का विवरण दिया गया है। अनुरोध है कि इस आदेश को गार्ड नस्ती में रखा जावे एवं इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें ताकि ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकें। क्षेत्र के चयन का मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार है :–

2. **विकासखंडवार ग्रामों का चयन एवं माइक्रोप्लान के लिए संस्थागत व्यवस्था –**

2.1 **विकासखंडवार ग्रामों का चयन**

ग्रामों का चयन जिला कलेक्टर द्वारा किया जावेगा। कलेक्टर द्वारा चयनित कुल रकबा लगभग दस हजार हेक्टेयर क्षेत्र होगा। चयन का आधार पैरा 3 में वर्णित है।

3. **चयन का आधार –**

- ऐसे गांव जहां 90 प्रतिशत कृषि भूमि असिंचित है।
- ऐसे गांव, जो भारत सरकार के सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल विकासखंडों में आते है।
- ऐसे गांव जो भूजल दोहन के संदर्भ में अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकासखंडों में आते है। अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकासखंडों की सूची अनुलग्नक क्रमांक एक पर संलग्न है।

- ऐसे गांव जहां लघु तथा सीमान्त कृषकों की संख्या कुल कृषकों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक हो।
- चयनित ग्राम एक क्लस्टर के रूप में या एक या एक से अधिक ग्रामों के समूहों में हो सकते है।

चयनित ग्रामों का विवरण अनुलग्नक क्रमांक दो अनुसार संधारित किया जावेगा एवं उसकी जानकारी जिला पंचायत एवं परिषद् में रखी जावेगी।

4. ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान के लिए वित्तीय व्यवस्था –

ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान के लिए निम्न मदों से वित्तीय व्यवस्था की जावेगी –

4.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश के अंतर्गत उपलब्ध राशि से वित्तीय व्यवस्था की जाएगी। यह व्यवस्था स्कीम के प्रावधानों, समय–समय पर जारी आदेशों तथा निर्देशानुसार होगी। इस योजना मद में उपलब्ध राशि से हितग्राहियों की जमीन पर व्यक्तिमूलक तथा सामुदायिक/शासकीय जमीन पर अन्य तरह के कार्य भी किए जावेंगें।

4.2 ग्रामीण विकास विभाग तथा अन्य विभागों की ग्राम विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों में उपलब्ध राशि से, नोडल विभाग की योजना के प्रावधानों के अनुसार हितग्राहियों की जमीन पर तथा सामुदायिक/शासकीय जमीन पर कार्य किए जावेंगे। इस हेतु नोडल विभाग द्वारा क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था की जाएगी।

4.3 राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानानुसार वित्तीय व्यवस्था।

5. संस्थागत व्यवस्था –

5.1 कलेक्टर द्वारा विकासखंडवार चयनित ग्राम समूहों के लिए पी.आई.ए. (शासकीय/स्वयं सेवी संस्था) का गठन किया जावेगा। यह दल चयनित ग्रामों का माइक्रोप्लान तैयार करेगा तथा वर्णित प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वयन/कार्य सम्पादन करेगा। एक पीआईए के पास लगभग दस हजार हैक्टेयर क्षेत्र की जिम्मेदारी होगी।

5.2 ग्राम स्तर पर पंचायत की भूमिका आगे वर्णित प्रावधानों एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार रहेगी।

6. परियोजना क्रियान्वयन दल का गठन –

ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान की प्लानिंग (कार्ययोजना बनाना), सुपरविजन प्रदान करना एवं क्रियान्वयन का कार्य पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पीआईए द्वारा किया जाएगा। पीआईए शासकीय अथवा स्वयंसेवी संस्था हो सकती है। परियोजना क्रियान्वयन दल का विवरण अनुलग्नक क्रमांक 3 के अनुसार तैयार कर जिला पंचायत एवं परिषद् में संधारित किया जावेगा।

6.1 शासकीय परियोजना क्रियान्वयन दल (शासकीय पी.आई.ए) –

कलेक्टर द्वारा 4 सदस्यीय शासकीय परियोजना क्रियान्वयन दल का गठन किया जावेगा। इस दल में 04 सदस्य तकनीकी पृष्ठभूमि के होंगे। 02 सदस्य पदेन होंगे। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

3

क. जिला कलेक्टर द्वारा विषय विशेषज्ञता वाली 04 शासकीय सदस्यों की टीम का गठन किया जावेगा। इस टीम में जिला स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–मध्यप्रदेश, डी.पी.आई.पी., ग्रामीण आजीविका परियोजना तथा जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना के लिए संविदा पर नियुक्त विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा सकती है। जिला कलेक्टर यदि उपयुक्त समझें तो इन विषय विशेषज्ञों तथा अन्य विभागों (कृषि, जल संसाधन, भूजल शाखा, वन इत्यादि) के उपयुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की मिश्रित टीम का भी गठन कर सकती है।

ख. संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा सम्बन्धित ग्राम के पटवारी, इस दल के पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्यों (मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं संबंधित ग्रामों के पटवारी) की नियुक्ति के आदेश जिला कलेक्टर द्वारा जारी किए जावेंगे।

6.2 **अशासकीय परियोजना क्रियान्वयन दल (अशासकीय पी.आई.ए.) –**

स्वयं सेवी संस्था के लिखित अनुरोध पर कलेक्टर द्वारा 4 सदस्यीय अशासकीय परियोजना क्रियान्वयन दल के गठन का अनुमोदन किया जावेगा। दल में विषय विशेषज्ञों के अलावा अशासकीय संस्था ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों या फील्ड वर्कर्स की सेवाएं ले सकती है, परन्तु इन स्वयंसेवकों या फील्ड वर्कर्स पर होने वाला व्यय प्रशासनिक व्यय की निर्धारित सीमा के अधीन होगा।

पार्टनर एनजीओ को एक जिले के अधिकतम दो विकासखंडों में ग्राम समूहों के दो माइक्रोप्लान के विकास एवं आंशिक क्रियान्वयन में सुपरविजन का कार्य भी सौंपा जा सकता है।

किसी भी एनजीओ पीआईए को अधिकतम दो जिलों में कार्य सौंपा जा सकता है एवं उन्हें आवंटित अधिकतम रकवा (एक विकासखण्ड में 15–20 गांव) लगभग बीस हजार हैक्टेयर होगा। आवंटित रकवे के संबंध में अशासकीय संस्था से वचन पत्र प्राप्त किया जावे।

6.2.1 पीआईए के सभी सदस्यों का सम्पूर्ण विवरण जिसमें उनका कार्यकाल, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं अन्य विशिष्टता सम्मिलित होगी, जिला पंचायत में संधारित किया जावेगा। यह नियम शासकीय पीआईए पर भी लागू होगा तथा जिला पंचायत द्वारा चयनित ग्रामों की सूची तथा पीआईए के सभी सदस्यों का सम्पूर्ण विवरण (अनुलग्नक दो एवं तीन) से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को अवगत कराया जावेगा।

6.2.2 ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान के क्रियान्वयन में पंचायत की भूमिका, शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार होगी।

7. **माइक्रोप्लान का विकास एवं लिए जाने वाले कार्य :–**

7.1 **माइक्रोप्लान का विकास –**

ग्राम स्तरीय माइक्रोप्लान बनाने के लिए ग्राम का बेस लाईन सर्वे किया जावेगा तथा प्राथमिक एवं द्वित्तीयक आंकडे एकत्रित किए जाएंगे। उनका विश्लेषण कर संभावनाएं ज्ञात की जाएगी और नेट प्लानिंग तथा अन्य विधियों की सहायता से

कार्यों तथा गतिविधियों का निर्धारण किया जावेगा। माइक्रोप्लान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की अनुसूची–1 की उप–कंडिका (iv) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे एवं विवरण को परिवारवार पृथक से दर्शाया जावेगा। यह विवरण सामाजिक अंकेक्षण का अनिवार्य हिस्सा होगा तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जावेगा। माइक्रो प्लान 03 वर्ष के लिए बनाया जाएगा, जिसमें माइक्रोप्लान में निर्माण कार्यों के वर्षवार विवरण सम्मिलित होंगे। उनकी संक्षेपिका, ड्राईंग, डिजाईन और एस्टीमेट एवं लाभ के विवरण माइक्रोप्लान के साथ सम्मिलित किए जावेंगे।

7.2 माइक्रोप्लान में लिए जाने वाले कार्य –

- गांव की निजी तथा शासकीय भूमि की उत्पादकता में इष्टतम वृद्धि के लिए मिट्टी एवं नमी का संरक्षण तथा मिट्टी के पोषक तत्वों की हानि रोकने की व्यवस्था।
- गांव में पानी की इष्टतम मांग (कृषि भूमि एवं अन्य आवश्यकताओं) को पूरा करने के लिए सतही जल एवं भूजल संरचनाओं का निर्माण करना।
- सामुदायिक / शासकीय भूमि के प्राकृतिक संसाधनों के सर्वांगीण विकास द्वारा खेतिहर मजदूरों, लघु तथा सीमान्त कृषकों के लिए आजीविका मुख्यतः पशुपालन तथा मछली पालन के टिकाऊ अवसर उपलब्ध कराना। इन कार्यों से नदी–नालों में जल प्रवाह की मात्रा एवं अवधि में सकारात्मक बदलाव परिलक्षित होगा।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 3698 /योजना/एनआर–1/एमजीएनआरईजीएस–एमपी भोपाल, दिनांक 16/4/2010

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संभागायुक्त की ओर सूचनार्थ।

(आर. परशुराम)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

भूजल का दोहन करने वाले अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खंडों की सूची

अनुलग्न क्रमांक एक

सरल क्रमांक	जिला जिसमें विकासखंड स्थित है	भूजल के अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खंड का नाम (मार्च 2004 की स्थिति)	स्त्रोत – जल संसाधन विभाग की भूजल आकलन रिपोर्ट 2004
1	बड़वानी	पानसेमल	
2	देवास	देवास	
3	देवास	सोनकच्छ	
4	धार	बदनावर	
5	धार	धार	
6	धार	मनावर	
7	धार	नालछा	
8	धार	तिरला	
9	इन्दौर	इन्दौर	
10	इन्दौर	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	बड़वाह	
13	मन्दसौर	मन्दसौर	
14	मन्दसौर	मल्हारगढ	
15	मन्दसौर	सीतामऊ	
16	नीमच	नीमच	
17	रतलाम	आलोट	
18	रतलाम	जावरा	
19	रतलाम	पिपलोद	
20	रतलाम	रतलाम	
21	शाजापुर	कालापीपल	
22	शाजापुर	मोमन बड़ोदिया	
23	शाजापुर	नलखेडा	
24	शाजापुर	शुजालपुर	
25	शाजापुर	सुसनेर	
26	शाजापुर	बडौद	
27	उज्जैन	उज्जैन	
28	उज्जैन	बड़नगर	
29	उज्जैन	घटिया	

अनुलग्नक – 2

चयनित ग्रामों का विवरण

क्र.	विकासखण्ड	चयनित ग्राम	चयन का आधार	ग्राम का सेंसस कोड नंबर	ग्राम पंचायत का नाम

अनुलग्नक – 3

परियोजना क्रियान्वयन दल का विवरण

क्र.	पी.आईए क्रमांक एवं वर्गीकरण	दल प्रभारी का नाम, पदनाम तथा पदस्थापना अवधि	दल के सदस्यों के नाम व पदनाम, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव इत्यादि	आवंटित ग्राम
1	2	3	4	5